न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2019 (उदयपुर आर्डर)

श्रीमती बाबरी (पिता छोगालाल जी) पत्नी कालूलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. छोगालाल पिता चर्तभुज जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. शंकरलाल पिता छोगालाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चांदी पत्नी शंकरलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. पंकज पिता शंकरलाल जी जणवा, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती चांदी पत्नी शंकरलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दि0
05.08.2019 प्रकरण संख्या 10/2019

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री विजयकुमार ओस्तवाल अभि.रे.सं 1 से 4
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 09–03–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भटेवर में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" की कुल किता 28 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की पैत्रृक सम्पत्ति है,

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:03 IST
Reason: SelfAttested

जिनका सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष चतर्भुज थे, जिसका पुत्र विपक्षी संख्या 1 छोगालाल है तथा छोगालाल का पुत्र विपक्षी संख्या 2 शंकरलाल एवं पुत्री प्रार्थीया बाबरी है। इस प्रकार प्रार्थीया का विवादित आराजियात में 1/3 हिस्सा होकर व इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है, किन्तु सम्पूर्ण आराजियात छोगालाल के नाम अंकित होने से उनके द्वारा विपक्षी संख्या 2, 3, 4 के पक्ष में नुमाईशी दान पत्र कर दिया है, जो प्रार्थीया के मुकाबले शून्य प्रभावी है। आराजी नंबर 3338 रकबा 5 बिस्वा का आवासी संपरितर्वन विपक्षी संख्या 1 द्वारा बिना प्रार्थीया की जानकारी के करवाया गया है, जो नल एण्ड वोईड है। विपक्षीगण प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियात अन्य को रहन, बैह, बक्षीस आदि तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थीया को बेदखल नहीं करें तथा उसे शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग करने देंवे।

विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि वादग्रस्त आराजियात पैत्रृक सम्पत्ति नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी एवं आधिपत्य की है, जिसमें प्रार्थीया का कोई हक व अधिकार नहीं है। जवाब के साथ काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी एवं आधिपत्य की है, जो विपक्षी संख्या 2 से 4 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र प्राप्त हुई है। उक्त आराजियात में प्रार्थीया का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीया को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रार्थीया द्वारा उक्त काउण्टर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05–08–2019 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण का काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19–08–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार ओस्तवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:03 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को बिना समझे निर्णय पारित करने में भूल की है, जबकि इस अधिनियम के तहत पुत्री का भी पुत्रों की तरह मौरूसी जायदाद पर समान अधिकार होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की होना मानकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 को जरिये दान पत्र व कब्जा देना मानने में भारी भूल की है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 का कोई कब्जा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 का काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया है, फिर भी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2020 (2) पेज 858, आर.आर.टी. 2020 (2) पेज 998, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 976, आर.आर.टी. 2020 (2) पेज 716, आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 751, आर.आर.टी. 2018–19 (Supp.) पेज 478 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2013 डी.एन.जे. (रेवेन्यू) पेज 185, 2017 (1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 132, 2009 (1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 279, 2013 (2) डी.एन.जे. (राज.) पेज 626 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 में विवादित आराजियात चुतरभुज वल्द भूरा जणवा के खातेदारी में अंकित है एवं जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 छोगालाल के नाम दर्ज है तथा रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 04–07–2018 से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 के पक्ष में दान किया गया है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट का कथन है कि पैत्रृक सम्पत्ति में पुत्रियों का भी पुत्र के समान अधिकार है इस कारण वह विवादित आराजियात के 1/3 हिस्से की हकदार है। इस बाबत् जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की हैं, उसमें पुत्रियों का पुत्र के समान अधिकार माना गया है, किन्तु इसके विपरीत

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:03 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीर 2013 डी.एन.जे. (रेवेन्यू) पेज 185 प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कब्जे–काश्त की अनुपस्थिति में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। इस प्रकरण में भी प्रार्थीया ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उसका कब्जा साबित होता है, जबकि दूसरी ओर रेस्पोन्डेन्ट रेकार्डेड खातेदार है एवं जब तक कब्जा अन्यथा प्रमाणित नहीं हो, कब्जा खातेदार का ही होने की अवधारणा ली जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में प्रार्थीया का कब्जा नहीं मानते हुए उसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं माना है।

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर 2017 (1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 132 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पिता के जीवनकाल में याची प्रश्नगत सम्पत्ति में किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता एवं रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने भी रेस्पोन्डेन्ट रेकार्डेड खातेदार होने से उनके द्वारा किये गये दान पत्र को विधि सम्मत माना है तथा यह भी माना है कि पिता के जीवनकाल में प्रार्थीया को वाद लाने का अधिकार नहीं है, जो उपरोक्त न्यायिक नजीर अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–02–2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:03 IST
Reason: SelfAttested